

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश, राज्य मुख्यालय
शांति मार्ग, श्यामला हिल्स, भोपाल

Website: www.bsgmp.net E_mail: bsgmadhypradesh@gmail.com Phone ☎ : 2661263, Fax: 2737446

पत्र क्र० / 3489 / रामु / प्रशि०स्का० / 2015 -16
प्रति,

भोपाल, दिनांक 11 / 8 / 2015

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास
पदेन जिला कमिश्नर स्काउट / गाइड
जिला (म०प्र०) ।
- 2 सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट / गाइड)
भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
संभागीय कार्यालय (म०प्र०) ।

विषय :- डी०ओ०सी० / डी०टी०सी० / जिला सचिव / संयुक्त सचिव संगोष्ठी का आयोजन ।
सन्दर्भ :- प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम सत्र 2015-2016 के अनुक्रम में ।

-0-

विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में शासन के मंशा के अनुरूप नैतिक शिक्षा के अन्तर्गत जिलों में अधिक से अधिक स्काउट-गाइड दल गठित हो इस प्रकार वयस्क प्रशिक्षण के अन्तर्गत जिलों में शिक्षक/शिक्षिकायें प्रशिक्षण प्राप्त कर जिलों में दल गठित कर स्काउटिंग-गाइडिंग को स्थानीय / संभागीय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर स्काउटिंग-गाइडिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण जैसे तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार के साथ ही वयस्क प्रशिक्षण अन्तर्गत बेसिक/एडवांस/हिमालय वुड बैज/सहायक लीडर ट्रेनर/लीडर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर सके उक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के जिलों में मानसेवी डी०ओ०सी० / डी०टी०सी० / जिला सचिव / संयुक्त सचिव की नियुक्ति की जाती है । जैसे कि आपको विदित है कि भारत स्काउट एवं गाइड एक स्वयं सेवी संगठन है । प्रदेश के केवल 25 जिलों में संविदा डी०ओ०सी० न्यूनतम परिश्रमिक पर कार्यरत हैं । नियुक्त नवीन पदाधिकारियों को आपकी ओर से जब तक सहयोग प्राप्त नहीं होगा वे अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वाहन नहीं कर पायेंगे ।

अतः आपसे अनुरोध है कि निम्न विवरण के आधार पर आयोजित होने वाले डी०ओ०सी० / डी०टी०सी० / जिला सचिव / संयुक्त सचिव संगोष्ठी में जिलों में नियुक्त पदाधिकारियों को कार्यमुक्त करने का निर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें साथ ही संबंधितों के संस्था प्रधानों को निर्देशित करें कि संबंधित को विषयांकित संगोष्ठी में सम्मिलित होने हेतु संस्था के स्काउट-गाइड निधि से रु० 1000/- यात्रा अग्रिम प्रदाय करें । शास०/अशास० विद्यालयों में पदस्थ शिक्षक/शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई है उन्हें शासन के नियमानुसार यात्राभत्ते की पात्रता होगी । दिये गये अग्रिम का समायोजन प्रतिभागी के संगोष्ठी से लौटने के बाद करा लिया जावे । यदि संबंधित की संस्था में राशि उपलब्ध न हो तो संकुल केन्द्र से राशि की व्यवस्था की जावे । इसके लिये जिलों में कार्यरत पदाधिकारियों की सूची संलग्न कर भेजी जा रही है । सूची के अनुसार ही पदाधिकारियों को भेजे । यदि इनमें किसी पदाधिकारियों को परिवर्तित कर दिया गया हो तो आप उन्हें भेजें ।

विवरण निम्नानुसार है -

कार्यक्रम का नाम	डी०ओ०सी० / डी०टी०सी० / जिला सचिव / संयुक्त सचिव संगोष्ठी ।
अवधि	दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2015 तक
उपस्थिति	दिनांक 11 सितम्बर 2015 को प्रातः 9 बजे तक
प्रस्थान	दिनांक 13 सितम्बर 2015 को शाम 8 बजे भोजन के बाद ।
स्थान	राज्य प्रशिक्षण केन्द्र गांधीनगर भोपाल ।
शुल्क	विकास-विशेष शुल्क रु० 100/- प्रति सदस्य शालेय स्का.गा.निधि से देय शिविर शुल्क रूपये 225/- प्रति सदस्य शालेय स्का.गा.निधि से देय साहित्य रु. 100/- कुल राशि रूपये 425/- प्रति सदस्य,



पात्रता
सामग्री

समस्त व्यय जिला संघ / संस्था के स्काउट-गाइड निधि से देय होगा
संलग्न सूची अनुसार ।


ए0पी0आर0ओ0भाग-2/3 के अनुसार पूर्ण व्यवस्थित यूनिफार्म, भोजन
करने के बर्तन, नोटबुक, पेन-पेन्सिल, दैनिक उपयोग के प्रसाधन सामग्री,
ए0पी0आर0ओ0भाग-1, 2, एवं 3 साथ लावें। आवश्यक दवाईयां आदि ।

संलग्न :- जिलेवार पदाधिकारियों की सूची एवं जॉप प्रोफाईल डी0ओ0सी0 / डी0टी0सी0 / जिला
सचिव / संयुक्त सचिव की ।

विशेष :- निम्न लिखित जानकारी संगोष्ठी में लेकर आना अनिवार्य है-

- 1 विगत तीन वर्षों में जिले से राज्य मुख्यालय भोपाल को भेजे गये पंजीयन राशि की जानकारी ।
- 2 जिले में संचालित 20 दलों की जानकारी ।
- 3 बालचर रवि मासिक पत्रिका की सदस्यता संख्या अद्यतन ।
- 4 जिले में संचालित भण्डार के विक्रय राशि का विवरण एवं मांग पत्र की जानकारी ।
- 5 युवा कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रपति, राज्य पुरस्कार, तृतीय सोपान, द्वितीय सोपान, द्वितीयचरण-रजतपंख, प्रवीण प्रशिक्षण, पेट्रोल लीडर प्रशिक्षण में प्रतिभागिता की संख्या विद्यालय सहित ।
- 6 वयस्क प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रशिक्षित बेसिक, एडवांस, अध्ययन भाग-2, हिमालय वुड बैज, प्री ए0एल0टी, ए0एल0टी की वर्गवार संख्यात्मक जानकारी ।
- 7 सेल्फ लर्निंग मॉड्युलर का प्रतिवेदन सत्र 2015 के प्रतिभागिता एवं सूची ।
- 8 माह जुलाई 2015 में राज्य स्तर पर आयोजित बेसिक स्काउट मास्टर, कब मास्टर, रोवर लीडर, फ्लाक लीडर, गाइड केप्टिन, रेंजर लीडर प्रशिक्षण प्रतिभागिता की संख्या एवं सूची ।
- 9 जिले में वारंट / चार्टर की अद्यतन स्थिति ।
- 10 जिले में निर्वाचन की अद्यतन स्थिति ।
- 11 जिले की स्काउट-गाइड कार्यक्रमों की वर्षभर की योजना ।

नोट :- सहायक संगठन राज्य आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी जिले के जिला स्तरीय पदाधिकारी का नाम गलत हो या पर रिक्त हो तो दूसरे का नाम प्रस्तावित करें तथा उपस्थित होने हेतु सूचित करें ।


राज्य सचिव 11/8/15

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 11/8/2015

पत्र क्र0/3490 /रामु/प्रशि0स्का0/2015 -16

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु-

- 1 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश गौतम नगर भोपाल ।
- 2 आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश, सतपुडा भवन भोपाल ।
- 1 राज्य मुख्य आयुक्त राज्य मुख्यालय भोपाल ।
- 2 संयुक्त राज्य सचिव, राज्य मुख्यालय भोपाल ।
- 3 राज्य संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) राज्य मुख्यालय भोपाल ।
- 4 संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग (म0प्र0) ।
- 5 संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिवासी विकास संभाग (म0प्र0) ।
- 7 जिला सचिव/संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) जिलाकी ओर कार्यवाही हेतु ।


राज्य सचिव 11/8/15

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश